

- आदेश -

उपरोक्त-प्रार्थियों-ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार-अभिलेख-दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप-तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज-दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज-दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज-दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया इन्द्राज				
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खसरा संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
आसलसर	90	पद्मगना पुत्र झुंथाराम	196	1.5000	द्विगना राम	196	1.5000
		हिस्सा 1/2 जाति	196/387	0.0500	पुत्र झुंथाराम	196/387	0.0500
		मेधवंशी साहेब खातेदार	196/388	0.0100	हिस्सा 1/12 जाति मेधवाल सा. देह खातेदार	196/388	0.0100
			197	0.0700		197	0.0700
			198	1.4900		198	1.4900

[Signature]
शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :- 540 / 26-X-21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- उप-तहसीलदार, मौलासर

[Signature]
शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का 613H को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप-तहसीलदार, मौलासर